# चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(2). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी व उनकी टीम द्वारा 10,000/- रुपये के इनामी अपराधी लकी उर्फ मो0 शहनवाज शाह पुत्र नुरूलहुदा शाह निवासी 116/926 रोशन नगर थाना रावतपुर जिला कानपुर नगर को गिरफ्तार किया जो कि मु0अ0सं0 88/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना राजापुर का वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तार वांछित अभियुक्त लकी उर्फ मो0 शहनवाज शाह उपरोक्त उक्त मुकदमा में काफी दिनों से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष राजापुर उ0नि0 श्री पंकज तिवारी
2. उ0नि0 इमरान खान
3. का0 शुभम मिश्रा
4. का0 विमलेश
5. चालक का0 पवन राजपूत

(3). आज दिनाँक 10.10.025 पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा गया साथ ही पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी,पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सांझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।
इस दौरान पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
(4). माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "मिशन शक्ति फेज-5.0" अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटी-रोमियो टीमों के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शोहदों/मनचलों द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ एवं अन्य आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के लिए सघन चेकिंग, जागरूकता कार्यक्रम तथा सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने वाले मु0अ0सं0 100/25 धारा 296 बीएनएस व मु0अ0सं0 183/25 धारा 452,376,354,504,323 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी

अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र राजबहोर आदिवासी निवासी ग्राम कोल्हाई मौजा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अमरेश चन्द्र तिवारी थाना बरगढ़
2. आरक्षी रोहित

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान व उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार सिंह पुत्र तिलक बहादुर सिंह नि0 अर्जुनपुर मजरा दबवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को बैग नीला रंग मे कुल 11 किलो 470 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान थाना भरतकूप
2. उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना भरतकूप
3. आरक्षी शक्ति सिंह
4.आरक्षी रणवीर सिंह
5.आरक्षी होलिकेन्द्र
6.आरक्षी चालक संदीप लोधी

(6). आज दिनाँक 10.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में थाना मऊ,थाना मानिकुपर, थाना बरगढ़ व थाना मारकुण्डी के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया । अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से प्रत्येक विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। आईजीआरएस एवं मुलाकाती शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अर्दली रुम के दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव, प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे,प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्यामप्रताप पटेल, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक 10.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में थाना मऊ,थाना मानिकुपर, थाना बरगढ़ व थाना मारकुण्डी के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया । अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से प्रत्येक विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। आईजीआरएस एवं मुलाकाती शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अर्दली रुम के दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव, प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे,प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्यामप्रताप पटेल, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.10.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु एवं मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2020 धारा 363,366,376, आईपीसी व 5अ/2/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त संजय उर्फ चुनकू पुत्र सुंदरलाल निवासी मवई खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 26.02.2020 को थाना मऊ अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्त संजय उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 32/25 धारा मु0अ0सं0 32/2020 धारा 363,366,376, आईपीसी व 5अ/2/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन अपराध निरीक्षक श्री सतीश कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गई। विवेचक द्वारा दिनांक 12.06.2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 04.07.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(9). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”□

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानो की एंटीरोमियों टीमों द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत थाना क्षेत्र में जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(10). आज दिनांक 09.10.2025 को अतिरिक्त निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति,आरक्षी रामविलास यादव व आरक्षी शिवम द्विवेदी थाना साइबर टीम द्वारा सीपी सिंह आवासीय विद्यालय चकला राजरानी बेड़ी पुलिया चित्रकूट में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरुकता कार्यक्रम के तहत सभी आमजन को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस

अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 10.10.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 227/2005 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त 1. कलेश पुत्र रामस्वरुप उर्फ लोखरिया घूरेटनपुर कोतवाली कर्वी 2.नत्थू पुत्र भाऊ निवासी घूरेटनपुर 3.राममिलन पुत्र श्यामसुंदर निवासी मानपुर कोतवाली कर्वी 4. हीरालाल पुत्र रघुवर निवासी सिलखोरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कारावास और 02-02 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

(12). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह व आरक्षी जयनारायण पटेरिया द्वारा धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र रफीक खान निवासी बूढ़ा सेमरवार कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(13). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान व उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार सिंह पुत्र तिलक बहादुर सिंह नि0 अर्जुनपुर मजरा दबवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को बैग नीला रंग मे कुल 11 किलो 470 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान थाना भरतकूप
2.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना भरतकूप
3.आरक्षी शक्ति सिंह
4.आरक्षी रणवीर सिंह
5.आरक्षी होलिकेन्द्र
6.आरक्षी चालक संदीप लोधी